"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 249] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 सितम्बर 2009—भाद्र 19, शक 1931

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-60/2008/20-एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचना क्रमांक एफ 10-2/20/2003, दिनांक 06-09-2003 द्वारा दिनांक 25-03-2003 को गठित "छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड" के नाम में संशोधन कर "छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मण्डलम्" किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2009

क्रमांक एफ 1-60/2008/20-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-9-09 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

Raipur, the 10th September 2009

NOTIFICATION

No. F 1-60/2008/20-One.—The State Government, hereby, makes amendment in the name of "Chhattisgarh Sanskrit Board" Constituted on 25-03-2003 by Notification No. F 10-2/2003/20, Dated 06-09-09 for Chhattisgarh State, as "Chhattisgarh Sanskrit Vidya Mandalam".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.